भारत सरकार

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 807

दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 के लिए प्रश्न

विषय: मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

807. श्री परिमल नथवानीः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मछुआरे हाई स्पीड डीजल पर राजसहायता के लाभ उठा रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की ऐसे मछुआरों के परिवारों की देखभाल करने के लिए कोई योजना है, जिन्हें पड़ोसी देशों, खासकर पाकिस्तान और श्रीलंका द्वारा पकड़ लिया गया है और वर्षों से निरुद्ध करके रखा हुआ है; और

(घ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यों की डीजल की मांग और अनुमानित आबंटन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती कृष्णा राज)

(क) पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी (डीएडीएफ), विभाग कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय केंद्रीय प्रायोजित योजना नीलीक्रांति: मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन का कार्यान्वयन कर रहा है। राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना का कल्याणकारी गतिविधियों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है जो सीएसएस के घटकों में से एक है। राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के घटक के चार व्यापक उप-घटक हैं नामत: (i) बचत-सह-राहत (अंतदेशीय और समुद्री मछुआरों दोनों को कवर करने के लिए), (ii) मछुआरों हेतु आवास, (iii) मछुआरों हेतु अन्य मूलभूत सुविधाएं जैसे पेयजल सुविधा और स्वच्छता सहित सामुदायिक हाल का निर्माण और (iv) सक्रिय मछुआरों हेतु समूह दुर्घटना बीमा, जिसको अब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के विलय के साथ कार्यान्वित किया गया है।

(ख) डीएडीएफ द्वारा कार्यान्वित केंद्रीय प्रायोजित योजना नीलीक्रांति: मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन के अन्यों के साथ-साथ मत्स्यन के उद्देश्य से उपयोग की गई हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) पर केंद्रीय छूट देती है। सीएसएस के तहत गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के बीपीएल के मछुआरों को केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्तमान समय में तटवर्ती राज्य और संघ राज्य क्षेत्र एचएसडी से संबंधित केंद्रीय छूट का लाभ नहीं ले रहे हैं।

(ग) और (घ): जी, नही. वर्तमान समय में डीएडीएफ, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में ऐसी कोई योजनाएं कार्यान्वयन में नहीं है।

....